केवल आप के लिये
गांव–गांव शहर–शहर देश दुनियां में अपनों तक पहुंचाना है तो :भारतीय बस्ती दैनिक वेब
www.bhartiyabasti.com
और उसका छपा संस्करण
सबसे बेहतर माध्यम
सम्पर्क–bhartiyabasti@gmail.com
मो0 9450567450| 9336715406

दैनिक भारतीय बस्ती

भारतीय बस्ती
www.bhartiyabasti.com
के लिये विज्ञापन बुक कराये।
विचार, प्रचार का सशक्त माध्यम
सम्पर्क
मो0 9336715406
8400925463

भारतीय बस्ती आमंत्रण मूल्य 2रूपया

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं0 B.S.T 59 बस्ती, वर्ष :47 अंक 254 गुरूवार 9 अप्रैल 2026 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या–फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ :4मूल्य:3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

सीजफायर के बीच ईरान की बड़ी धमकी: होर्मुज में बिना इजाजत जहाज घुसा तो उड़ा देंगे

तेहरान (आभा)। ईरान ने अमेरिका के साथ दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही होर्मुज में अपनी सख्ती दिखा दी। ईरानी नौसेना ने चेतावनी दी है कि बिना तेहरान की अनुमति के कोई भी जहाज स्ट्रेट में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। बुधवार को ईरानी नौसेना ने समुद्री मार्ग के पास मौजूद जहाजों को रेडियो संदेश भेजकर स्पष्ट किया कि होर्मुज पार करने के लिए ईरानी सेपाह नौसेना से अनुमति लेना अनिवार्य है। संदेश में कहा गया कि होर्मुज से गुजरने के लिए आपको ईरानी सेपाह नौसेना से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई भी पोत बिना अनुमति के गुजरने का प्रयास करता है, तो उसे नष्ट कर दिया जाएगा। यूं कहा जाए तो उड़ा दिया जाएगा।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, चालक दल द्वारा साझा किए गए ऑडियो में यह चेतावनी

दर्ज की गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि अधिकांश जहाज अभी भी होर्मुज में स्थिर हैं, और ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अपना प्रभाव बनाए रखने का इरादा जताता दिख रहा है। फारस की खाड़ी के ऊपर युद्धक विमान अभी भी तैनात हैं। यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा के ठीक बाद सामने आया है।

बता दें कि ईरान और ओमान के बीच स्थित यह समुद्री मार्ग मात्र 34 किलोमीटर चौड़ा है, जो खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है। दुनिया की लगभग एक–पांचवीं तेल आपूर्ति और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का परिवहन इसी मार्ग से होता है। करीब छह सप्ताह से चल रहे संघर्ष में यह युद्ध का केंद्र बिंदु बना रहा।

ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि वे ईरान पर हमले दो सप्ताह के लिए निलंबित करने पर सहमत हुए हैं, बशर्ते होर्मुज को पूर्ण, तत्काल और सुरक्षित तरीके से खोल दिया जाए। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि यह दोतरफा युद्धविराम होगा। इससे पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि यदि समझौता नहीं हुआ तो एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा।

दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने युद्धविराम स्वीकार कर लिया है, लेकिन स्पष्ट किया है कि यह युद्ध का अंत नहीं है। तेहरान ने कहा कि यदि दुश्मन कोई गलती करता है तो पूर्ण शक्ति से जवाब दिया जाएगा।

2 दिन में पूरी हो जनगणना–2027 के पहले चरण की तैयारी–एसपी गोयल

लखनऊ (आभा)। यूपी के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को दो दिनों में जनगणना–2027 के पहले चरण की तैयारियां पूरी कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जनगणना–2027 के प्रथम चरण में राज्य में मकान सूचीकरण तथा मकानों की गणना कार्य की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आनलाइन जुड़े भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने भी दिशा–निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि घनी शहरी, झुग्गी तथा उच्च गतिशील आबादी वाले क्षेत्रों में पूर्ण और सटीक गणना सुनिश्चित की जाए। प्रदेश में लगभग 5.5 लाख प्रगणकों तथा पर्यवेक्षकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके सत्यापित विवरण समेत अद्यतन डिजिटल डेटाबेस 10 अप्रैल तक तैयार कर लिया जाए। कहा कि सभी प्रगणकों और पर्यवेक्षकों

को फील्ड तैनाती से पूर्व अनिवार्य, समग्र तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण 16 अप्रैल से सात मई के बीच पूरा कराया जाए। मकान सूचीकरण व गणना ब्लाकों का स्पष्ट सीमाओं के साथ सटीक तथा त्रुटिरहित निर्धारण सुनिश्चित किया जाए। तकनीकी सहायकों की भर्ती शीघ्र पूरी कर जियो–टैगिंग और सीमांकन कार्य को मजबूत बनाया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी जनगणना में आम जनता के लिए स्व–गणना का प्रावधान किया गया है। सभी नागरिकों के लिए समावेशी व्यवस्था और आवश्यक सहायता सुनिश्चित करते हुए व्यापक जन–जागरूकता अभियान चलाकर स्व–गणना को प्रोत्साहित किया जाए। उत्तर प्रदेश में स्व–गणना पोर्टल सात से 21 मई तक उपलब्ध रहेगा, जिस पर कोई भी नागरिक अपने परिवार की जानकारी स्वयं भर सकेगा।

भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि जनगणना कार्य में अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन जिला जनगणना अधिकारी के रूप में एडीएम को देश के विकास में अपनी भूमिका को समझते हुए दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। जनगणना को जन–जन की भागीदारी से जोड़ा जाए तथा इसे एक जन–अभियान बनाया जाए ताकि सटीक आंकड़े प्राप्त हो सकें। उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें सभी डेटा संग्रहण, प्रविष्टि, सत्यापन और निगरानी डिजिटल प्लेटफार्मों पर होगी।

एक नजर

बस्ती में ट्रेलर ने ग्रामीण को रौंदा, मौके पर ही मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र में बुधवार को एक सड़क हादसे में 53 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मनोरमा नदी पर स्थित पुल के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें रौंद दिया। जानकारी के अनुसार, रैनियां गांव निवासी रामरूप किसी काम से बैंक जाने के लिए घर से निकले थे। मनोरमा नदी पुल के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आने से उनकी जान चली गई।

घटना की सूचना मिलते ही लालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने ट्रेलर और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि टोल टैक्स बचाने के लिए रोजाना सैकड़ों भारी वाहन इस शॉर्टकट मार्ग से गुजरते हैं। इस कारण आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।

प्लंबर का शव फंदे से लटका मिला

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के खोराखार गांव में बुधवार सुबह एक 24 वर्षीय प्लंबर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। मृतक की पहचान सोहना थाना क्षेत्र के पिटउट गांव निवासी अभिषेक कुमार पुत्र मंजीश कुमार के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, अभिषेक खोराखार में अपने मौसा के साथ एक किराए के मकान में रहता था और प्लंबर का काम करता था। बताया जा रहा है कि उसके मौसा दो दिन पहले गेहूं की कटाई के लिए गांव चले गए थे। बुधवार सुबह जब स्थानीय लोगों ने कमरे की छत की कुंडी से रस्सी के सहारे अभिषेक का शव लटकता देखा, तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य और नमूने एकत्रित किए।

चौकी प्रभारी राम अशोक यादव ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाल मोती चंद ने बताया कि मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा।

फिलहाल, पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।

संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध की मौत

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। जिले के दुबौलिया थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। यह शव चिलमा ललहवा स्थित एक देसी शराब की दुकान के पास पड़ा मिला। घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

सूचना मिलने पर दुबौलिया पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान सबई घीसा गांव निवासी 50 वर्षीय स्यायू (श्यामू) के रूप में हुई है।

दुबौलिया थानाध्यक्ष जीवन त्रिपाठी ने बताया कि मौत के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है।

निजी अस्पताल में ग्राम प्रधान की मौत से आक्रोश, तोड़फोड़

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती, शहर के बड़ेवन स्थित एक निजी हास्पिटल में इलाज के दौरान ग्राम प्रधान की मौत हो गई। परिजनों और समर्थकों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। प्रधान का आईसीयू में इलाज चल रहा था और उन्हें हृदय संबंधी परेशानी थी। संतकबीरनगर जनपद के बेलहर कला ब्लॉक क्षेत्र के फुलवरिया निवासी सालिकराम चौधरी (60) को सोमवार शाम छह बड़ेवन स्थित हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनको हृदय संबंधी परेशानी थी और ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव हो रहा था। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार उनकी स्थिति स्थिर हो गई थी। मंगलवार को कई समर्थक और संबंधी लगातार आईसीयू में मिलने आ रहे थे। इस दौरान कई बार अस्पताल प्रबंधन ने आपत्ति जताई थी तो मंगलवार को भी बहस हो गई थी।

परिजनों का आरोप है कि मंगलवार देर रात अचानक प्रधान सालिकराम की हालत बिगड़ने लगी। उस समय अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं था। इसके चलते उनका समुचित इलाज नहीं हो पाया और उनकी मौत हो गई। इसी बात को लेकर परिजनों ने अस्पताल में मारपीट की। वार्ड से लेकर अस्पताल के बाहरी हिस्से में तोड़फोड़ किया। शव को कुछ देर रखकर बड़ेवन रोड जाम किया। हालांकि कुछ देर बाद दोनों पक्षों में वार्ता हुई और परिजन शव को लेकर संतकबीरनगर लौट गए।

मेधा ने सौंपा ज्ञापन: प्रशान्त पाण्डेय के विरूद्ध दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। बुधवार को मेधा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीनदयाल त्रिपाठी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। मांग किया कि राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशान्त पाण्डेय पर तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक बजाने और कोविड 19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की धारा में दर्ज एफआईआर को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाय।

ज्ञापन देने के बाद मेधा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दीनदयाल त्रिपाठी ने कहा कि जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राजकीय इण्टर कालेज के मैंदान में गत 29 मार्च को सनातन धर्म संवाद कार्यक्रम में आये थे। इसका संयोजन राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रशान्त पाण्डेय ने किया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान न ही प्रशासन और आम जनमानस को कोई परेशानी नहीं हुई न ही किसी की भावना आहत हुआ, परन्तु कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम आयोजक प्रशान्त पाण्डेय पर तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक बजाने और कोविड 19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की धारा में एफआईआर दर्ज कराया गया जो बेबुनियाद हैं। यह मुकदमा पूरी तरह दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज कराया गया है। कहा कि जन भावना को ध्यान रखते हुए तत्काल पंजीकृत मुकदमा वापस लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान किया जाय,जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था न प्रभावित होने पाये।

ज्ञापन देने वालों में उमेश पाण्डेय मुन्ना, सन्तोष शुक्ल, अनिल मिश्रा, नवीन दूबे, दिनेश त्रिपाठी, अंकित पाण्डेय, कार्तिकेय त्रिपाठी, अनुपम शुक्ल, मनीष पाण्डेय, आकाश पाण्डेय, नागेन्द्र मिश्र, दीपक पाण्डेय, प्रतीक मिश्र, रामरीका पाण्डेय, राहुल तिवारी, उदय पाण्डेय, रामकृष्ण मोनू दूबे, राममणि पाण्डेय, जगदम्बा पाण्डेय, स्वप्निल मिश्र, करन शुक्ल, आनन्द मिश्र, वृहस्पतिमणि त्रिपाठी, साकेत पाण्डेय, उत्कर्ष त्रिपाठी आदि शामिल रहे।

रोटरी मण्डलाध्यक्ष ने किया रोटरी क्लब बस्ती ग्रेटर के कार्यो की समीक्षा

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। रोटरी क्लब बस्ती ग्रेटर के अधिकारिक यात्रा पर वाराणसी से आये रोटरी मण्डलाध्यक्ष रोटेरियन डा. आशुतोष अग्रवाल (अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अर्थोपेडिक एशोसिएशन) ने क्लब कार्यो की समीक्षा की ।

स्थानीय होटल क्लार्क इन में सदस्यों के साथ मिटिंग सम्पन्न हुई। रोटरी मण्डलाध्यक्ष ने बस्ती ग्रेटर के कार्यो की सराहना की और मोहल्ला क्लिनिक के पहल को सराहा। इस अवसर पर एक सदस्य की वृद्धि भी हुई । निर्वाचित अध्यक्ष रोटेरियन डा. वी. के. वर्मा ने रोटरी क्लब बस्ती ग्रेटर द्वारा किये जा रहे कार्यो के बारे में मण्डलाध्यक्ष रोटेरियन डा अशुतोष अग्रवाल को जानकारी दिया। बताया कि क्लब द्वारा जन सरोकारों से जुड़े अनेक कार्य किये जा रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता क्लब अध्यक्ष राजेश्वरी वर्मा ने किया । सचिव रो. किशन कुमार गोयल, रोटेरियन डा वी. के. वर्मा, डा आलोक रंजन, रो. प्रतिभा गोयल, सुमित गोयल, एम आर वर्मा आदि उपास्थित रहे।

बदला मौसम का मिजाज, बारिश से किसान परेशान

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। मौसम के बदले मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आसमान में छाए काले बादलों, तेज हवाओं और हल्की बूंदाबांदी के कारण गेहूं की मड़ाई का काम रुक गया है। इससे साल भर की मेहनत के बाद फसल घर लाने की तैयारी कर रहे किसानों को नुकसान की आशंका है।

जनपद के विभिन्न इलाकों में बुधवार सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही थीं और बारिश की संभावना बनी हुई थी। जिन किसानों ने अपनी कटी हुई फसल खेतों में सूखने के लिए छोड़ी थी, वे उसे आनन–फानन में तिरपाल से ढकते या सुरक्षित स्थानों पर ले जाते दिखे। इस अचानक बदलाव से मड़ाई का काम बीच में ही बाधित हो गया है।

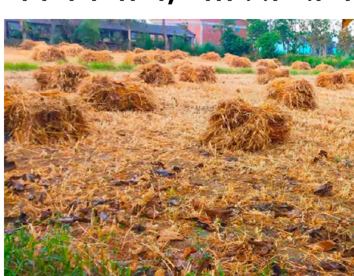

स्थानीय किसानों ने बताया कि वे मड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन बूंदाबांदी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों का कहना है कि यदि बारिश तेज हुई तो गेहूं की बाली काली पड़ सकती है और दाने की चमक कम हो जाएगी। फसल भीगने के बाद उसे दोबारा सुखाने में कई दिन लगेंगे, जिससे लागत और समय दोनों बढ़ जाएंगे।

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, कटाई के इस अंतिम चरण में बारिश गेहूं की फसल के लिए हानिकारक है। भीगने से अनाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है और गीली फसल की मड़ाई मशीनों से संभव नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त, तेज हवाओं से कटी हुई फसल मिट्टी में मिल सकती है, जिससे पैदावार में भारी गिरावट का खतरा है।

फिलहाल, किसान मौसम साफ होने की प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनकी तैयार फसल सुरक्षित रूप से घर पहुंच सके।

जिला कारागार में बंद कैदी के पिटाई का आरोप, पत्नी ने लगाया न्याय की गुहार: सरदार सेना ने सौंपा ज्ञापन

–भारतीय बस्ती संवाददाता–

बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र के शोभनपार निवासी सूरज चौधरी इन दिनों जिला कारागार बस्ती में बंद हैं। उनकी पत्नी अंजनी चौधरी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उनके पति को जेल के अंदर मारा पीटा गया है और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में बुधवार को सरदार सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष बृजेश पटेल, जिलाध्यक्ष विनय चौधरी के नेतृत्व में पदाधिकारियों, पीडिता और परिजनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुये जिला कारागार में बंद सूरज चौधरी की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के साथ ही समुचित इलाज कराया जाय।

सरदार सेना नेता बृजेश पटेल ने ज्ञापन देने के बाद बताया कि जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया कि

पीड़ित बंदी की पत्नी की मुलाकात कराई जाएगी और बंदी के इलाज की समुचित व्यवस्था होगी। उनकी पत्नी ने कहा कि यदि आवश्यकता हो तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया जाए। बंदी की पत्नी अंजनी ने यह भी कहा उनके पति के जान माल की खतरा है । आरोप लगाया कि डिप्टी जेलर वंदना त्रिपाठी, डिप्टी जेलर रोशन, सोनू, फूलचंद, प्रदीप सहित कई पुलिस कर्मियों ने बंदी सूरज चौधरी को मारा पीटा । सरदार सेना ने मांग किया दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाए, परिवार को मिलने से न रोका जाए तथा बंदी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चेतावनी दिया कि यदि सूरज चौधरी के साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी जिम्मेदारी जेल प्रशासन की होगी।

बुधवार को ज्ञापन देने के दौरान सूरज चौधरी की पत्नी अंजनी, अशोक चौधरी, राजन चौधरी, रमेश चौधरी, शमसेद चौधरी, लवकुश चौधरी, राजेश चौधरी, चंद्रेश, विशाल, प्रभात गौतम अंजलि, राजकुमारी, विद्या पटेल, मालती देवी, सुमित्रा देवी, सुमन चौधरी, सुनीता चौधरी के साथ ही सरदार सेना के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता शामिल रहे।

संकल्पों के साथ मनाया गया भारतीय बस्ती अयोध्या संस्करण का 21 वां स्थापना दिवस: विभूतियां सम्मानित

संवाददाता– अयोध्या। 'दैनिक भारतीय बस्ती' के अयोध्या संस्करण का 21 वां स्थापना दिवस बुधवार को उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार रघुवर शरण ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार कमलाकांत सुंदरम, रमेश मिश्रा, सुशील पांडे सहित कई गणमान्य पत्रकार व बुद्धिजीवी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्करण प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने सभी अतिथियों का अंगवस्त्र व माल्यार्पण कर स्वागत किया ।कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों ने 'दैनिक भारतीय बस्ती' के संस्थापक दिनेश चंद्र पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि संस्थापक द्वारा रोपे गए इस छोटे से पौधे को आज विशाल वटवृक्ष बनाने का कार्य प्रदीप पांडे अपनी पूरी टीम के साथ कर रहे हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक उदाहरण है।

अध्यक्षीय संबोधन में रघुवर शरण ने कहा कि प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या में 21 वां स्थापना दिवस मनाया जाना अपने आप में गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि आज के समय में अखबार निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है और यह "लोहे का चना चबाने" जैसा कठिन कार्य है। इसके बावजूद 'दैनिक भारतीय बस्ती' कुशल प्रबंधन, समर्पित टीम और सकारात्मक नीतियों के बल पर निरंतर प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग पांच दशकों के अनुभव का लाभ अयोध्या संस्करण को मिल रहा है, जो इसकी मजबूती का आधार है ।मुख्य अतिथि रमेश मिश्रा ने कहा कि किसी भी अखबार की सफलता टीम वर्क पर निर्भर करती है। सभी के सहयोग और समर्पण से ही संस्था आगे बढ़ती है और 'दैनिक भारतीय बस्ती' इसका जीवंत उदाहरण है। कमलाकांत सुंदरम ने अपने संबोधन में कहा कि निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प से ही कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। वहीं, सुशील पांडे ने कहा कि अखबार चलाना और उसमें कार्य करना दोनों ही चुनौतीपूर्ण कार्य हैं, लेकिन निरंतरता ही सफलता की कुंजी है।

चंद्र मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए लगन, मेहनत और सहयोग की भावना आवश्यक होती है। बमबम यादव ने कहा कि पत्रकारिता एक सामाजिक दायित्व है, जिसे निभाने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी अखबार को चलाने के लिए एक मजबूत टीम का होना जरूरी है और उस टीम का सुचारु समन्वय ही सफलता दिलाता है ।कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्करण प्रभारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि अयोध्या संस्करण का शुभारंभ 8 अप्रैल 2006 को बस्ती संस्करण के साथ हुआ था। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय पत्रकारिता के गुरु रहे राज किशोर मौर्या को जाता है। साथ ही महंत राम कुमार दास द्वारा कार्यालय की व्यवस्था कराने में दिए गए सहयोग को भी उन्होंने याद किया। उन्होंने सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आप सभी की उपस्थिति से यह कार्यक्रम सफल और यादगार बना ।स्थापना दिवस के अवसर पर अजेंद्र पांडे, ओमकार पांडे, सौरभ शुक्ला, अखंड सिंह, सर्वेश श्रीवास्तव, आशुतोष पाठक, सुभाष सिंह, शरद शर्मा, आदित्य तिवारी, अभिजीत तिवारी, अभिषेक उपाध्याय, सत्य प्रकाश, विनोद मिश्रा, आरपी सिंह, रजनीश पांडे, जगदीश त्रिपाठी, अनूप सोनी, महेंद्र शर्मा, नवनीत सिंह, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, मंगल, अनुपम, सुरेश, संतोष सिंह सहित लगभग दो दर्जन पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अखबार की निरंतर प्रगति की कामना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

"मुझे अखबार निकालने दो तो मै इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"–वेंडेल फिलिप्स

दैनिक
भारतीय बस्ती
बस्ती 9 अपैल 2026 गुरूवार

सम्पादकीय

झूठी धमकियों के सिलसिले

देश भर में शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, सरकारी भवनों और अन्य सार्वजनिक स्थलों को बम से निशाना बनाने की झूठी धमकियों का बढ़ता सिलसिला सुरक्षा की लिहाज से चुनौती बन गया है। ई–मेल या फिर सोशल मीडिया के जरिए इस तरह की धमकियां दी जाती हैं, जिससे न केवल लोगों में दहशत फैलती है, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों का कीमती समय और संसाधन भी बर्बाद होते हैं।

बीते सोमवार को चंडीगढ़ के कई स्कूलों और सरकारी इमारतों को बम से उड़ाने की धमकियां ई–मेल पर दी गई, हालांकि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। संभवतः धमकी देने वालों का मकसद महज दहशत फैलाना ही रहा होगा। मगर सवाल है कि आखिर इस तरह की घटनाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? क्या सुरक्षा एजेंसियां धमकी देने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं?

ये प्रश्न इसलिए महत्त्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के ज्यादातर मामलों में पुलिस या अन्य जांच एजेंसियां अपराधियों तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। गौरतलब है कि हाल के वर्षों में बम की झूठी धमकियां देने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। मई, 2024 में दिल्ली–एनसीआर में एक ही दिन में करीब ढाई सौ स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से पुलिस के हाथ–पांव फूल गए थे। हालांकि, इस तरह की तमाम धमकियां झूठी साबित हुईं, लेकिन इससे जहां दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, वहीं जांच एजेंसियों के सामने कई चुनौतियां पैदा हो जाती हैं।

ऐसे मामलों में अब तक की जांच में सामने आया है कि धमकी भरे ज्यादातर ई–मेल वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए विदेशी आईपी पते से भेजे जाते हैं। मगर आज डिजिटल तकनीक इतनी विकसित हो चुकी है कि इसके जरिए दुनिया के किसी भी कोने में छिपे अपराधी को खोजा या पकड़ा जा सकता है।

मगर पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों में अलग से बनाई गई साइबर शाखाओं के विशेषज्ञ क्या डिजिटल तकनीक में इतने पारंगत नहीं हैं कि वे ऐसे अपराधियों का पता लगा सकें? सरकार और प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि यह केवल दहशत फैलाने का मामला नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और तकनीकी क्षमता का भी सवाल है।

हिंसक होता बचपन

मामूली बातों के लिए किसी की हत्या कानून व्यवस्था से जुड़ा मसला जरूर है, लेकिन इसका समाजशास्त्रीय पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज किया जाता रहा है। आजकल मामूली बातों पर विवाद जिस तरह हिंसक मोड़ ले रहे हैं, वह चिंता का विषय है। लोग अब छोटी–छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं। ऐसी घटनाओं का अंत कई बार किसी की हत्या तक के रूप में सामने आता है। इस तरह के मामलों में नाबालिगों के भी शामिल पाए जाने से स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। देश की राजधानी होने के बावजूद कानून और सामाजिक विकास के मोर्चे पर नाकामी की वजह से आपराधिक घटनाओं में नाबालिगों की बढ़ती संलिप्तता के पीछे किसकी कमजोरी मानी जाएगी?

पिछले दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में महज चार सौ रुपये के लेनदेन के विवाद में युवक की हत्या समाज की दशा और दिशा की एक तकलीफदेह तस्वीर सामने रख देती है। इस मामले में तीन नाबालिगों पर आरोप है कि वे घटनास्थल पर युवक को चाकू मारते रहे, जबकि चौथा इस घटना का वीडियो बनाता रहा। साफ है कि आरोपियों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं था।

इससे पहले भी दिल्ली में हुई कई वारदात में नाबालिग शामिल पाए गए हैं। देश की राजधानी में अपराध की यह तस्वीर कैसे और क्यों बन रही है, यह चिंता सरकार की प्राथमिकता में कहीं नहीं दिखती। इसकी फिक्र भी किसी को नहीं है कि कम उम्र के किशोरों के हाथों में घातक हथियार कैसे पहुंच रहे हैं। हाल के वर्षों में कम उम्र के बच्चों के बीच भी हिंसा की प्रवृत्ति जिस तरह बढ़ी है, यह समाज के लिए बेहद खतरनाक है।

नशे की लत का शिकार होने के बाद कई नाबालिग इस समय अपराध के दलदल में धंसते दिख रहे हैं। अगर कुछ किशोर आपराधिक वारदात को बेखौफ अंजाम दे रहे हैं, तो कानून व्यवस्था संभालने वाले जिम्मेदार लोग क्या कर रहे हैं? कानून से लेकर समाज तक, अपराध और अपराधियों के प्रति जरूरी सख्ती न बरतने का ही नतीजा है कि नाबालिगों के कदम अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। सरकार और समाज के लिए यह व्यापक चिंता का मसला होना चाहिए।

ममता का विजय रथ रोकने को भाजपाई चक्रव्यूह

—केवल तिवारी—

पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में इस बार मुकाबला बहुकोणीय लग रहा है। मुख्य मुकाबला प्रदेश में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के बीच है। कई मामलों में बेहद अहम इस राज्य की 294 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। राज्य में भाजपा के मुकाबले अन्य पार्टियों की एकता नहीं बन पायी। अनेक वामपंथी संगठनों को इस बात का मलाल है कि भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर नहीं लड़ा जा रहा है। वामपंथ के किले को ढहाकर सत्ता में आईं ममता बनर्जी लगातार तीन बार से मुख्यमंत्री हैं। चौथी बार सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटी टीएमसी कई मुद्दों पर भाजपा को घेर रही है।

पड़ोसी राज्य असम की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी कुछ समीकरण समान लग रहे हैं। असम में पूर्व में कांग्रेसी रहे हैं, फिर से कुर्सी संभालने की जुगत में हैं तो यहां कभी ममता के करीबी रहे सियासी धुरंधर उनकी राजनीतिक पिच को खोदने में लगे हैं। बात चाहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की हो या फिर अलग पार्टी बनाकर मैदान में उतरे हुमायूं कबीर की। इन सबके बीच कांग्रेस अपने तरीके से जोर लगा रही है और वामपंथियों को उम्मीद है कि उनका वोट शेयर इस बार बढ़ेगा। अलग–अलग सियासी दलों के मैदान में उतरे होने से मुद्दे भी उतने ही ज्यादा हैं। यानी मुद्दों की खिचड़ी को पकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि 'माछ–भात' को राजनीति की 'डाइनिंग टेबल' पर परोसे जाने की भी कोशिश है। चुनाव की घोषणा होते ही निर्वाचन आयोग ने राज्य के कई शीर्ष अफसरों का तबादला कर दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। राज्य सरकार इन तबादलों के खिलाफ हाईकोर्ट भी गयी, हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के किए गए तबादले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। इधर, केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा इस बार पिछली बार के मुकाबले ज्यादा जोर लगाती दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार 15 दिन राज्य में रहे। शाह भाजपा के मुख्य चेहरा शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दौरान भी मौजूद रहे। अधिकारी, ममता को उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे रहे हैं और दो जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि भाजपा ने अभी किसी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। भाजपा की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी ने इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया है और वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा उनके विकास के एजेंडे के नाम पर वोट मांगेगी।

चुनावी रण में रोचक मुद्दों के बीच, पश्चिम बंगाल का मशहूर 'माछ–भात' (मछली की तरीदार सब्जी और चावल) को राजनीति की मेज पर लाने की कोशिश हो रही है। भाजपा जहां हिंदुत्व को मुद्दा बनाने की शुरू से ही कोशिश में रही है, वहीं टीएमसी 'माछ–भात बंगाली' को मुद्दा बना रही है। इस मसले का कोई विरोध कर भी नहीं सकता। असल में, टीएमसी ने इस भावना को सियासी धार देने की कोशिश करते हुए तर्क दिया है कि भाजपा हिंदी भाषी व उत्तर भारत की शाकाहार–समर्थक राजनीति से जुड़ी है और पश्चिम बंगाल की सांस्कृतिक पहचान के साथ उसका कोई मेल नहीं। पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल प्रवास के दौरान भी तंज कसा कि आप राजनीति की रोटियां सेकने आए हैं तो माछ–भात का लुत्फ जरूर उठाएं। एसआईआर की सुप्रीम जांच के आदेश के बीच, न्यायिक अधिकारियों की घेराबंदी को भाजपा जोरशोर से उठा रही है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली में इसे उठा रहे हैं।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विरोध में सबसे मुखर रहने वालीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य प्रतिद्वंद्वी भाजपा को कई अन्य मुद्दों पर भी घेर रही हैं। भाजपा घुसपैठ के मुद्दे को पकड़े हुए है। कांग्रेस और वामपंथियों की कोशिश स्थानीय मुद्दों को हवा देने की है। सत्ता–विरोधी लहर की चुनौती भी झेल रही ममता के भतीजे अभिषेक 'फायर ब्रांड' नेता की तरह उभरे हैं। उनकी इस छवि को जनता कितना तवज्जो देगी, यह तो समय बताएगा।

हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी अल्पसंख्यक वोटों में सेंध लगाने की कूवत रखती तो दिख रही है। ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर द्वारा गठित आम जनता उन्नयन पार्टी का समर्थन किया है। कबीर ने 'बाबरी' मस्जिद की नींव रखकर मुस्लिम मतदाताओं पर डोरे डालने की कोशिश की है। सियासत के इस बदलाव के बीच कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या का मामला भी मुद्दा बना है। पानीहाटी विधानसभा सीट से भाजपा ने मृतक छात्रा की मां रत्ना देबनाथ को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निर्मल घोष के बेटे तीर्थंकर घोष से है। देखना होगा कि मुद्दों की खिचड़ी में 'माछ–भात बंगाली' क्या गुल खिलाएगा।

माओवादियों पर नियंत्रण

-कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल -

देश से सशस्त्र माओवादी आतंक का खात्मा हो गया है। लेकिन अर्बन नक्सलियों का माड्यूल अभी भी सक्रिय है। नक्सलवाद–माओवाद के खूनी पंजों ने चारो ओर कैसे दहशत फैला रखी थी? उसकी गवाह हर वो तारीखें हैं जब–जब हमारे वीर जवानों ने माओवादियों से लोहा लिया। छत्तीसगढ़ के कोने–कोने में, बस्तर में सुख–शांति के लिए अपना बलिदान दे दिया। ऐसी ही इतिहास की एक तारीख है 6 अप्रैल 2010। ये तारीख याद कर लीजिए। ये वो तारीख थी जब दंतेवाड़ा में ब्व्थ् की 62 वीं बटालियन पर घात लगाकर माओवादी आतंकियों ने हमला किया था। सुकमा (तत्कालीन दंतेवाड़ा) के चिंतागुफा, ताड़मेटला के पास माओवादियों ने क्रूरता की अति कर दी थी। लेकिन जवानों का हौसला कम नहीं था। माओवादियों के साथ हुए संघर्ष में 76 जवानों ने अपना बलिदान दे दिया था। ब्व्थ् ने वीर बलिदानियों को याद करते हुए लिखा कृ"हमारे 75 श्रेष्ठ जवानों ने 6 घंटे तक चले भीषण संघर्ष में 7 माओवादियों को ढेर किया और 8 को घायल किया, इसके बाद उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। 500 से अधिक भारी हथियारों से लैस माओवादियों और सैकड़ों प्व्े से घिरे होने के बावजूदकृजो लगभग हर उस स्थान पर लगाए गए थे। जहाँ हमारे जवान शरण लेकर जवाबी कार्रवाई कर सकते थे। उनका साहस अद्वितीय और अविस्मरणीय था।हमारे कुछ वीरों ने अपने साथियों की रक्षा करने और दुश्मन को निष्क्रिय करने के लिए ग्रेनेड पर लेटकर सर्वोच्च बलिदान दिया। अंतिम क्षणों में भी वीर सैनिकों ने अपने हथियार अपने नीचे छिपा लिए।"

इस क्रूर हमले का मास्टरमाइंड माडवी हिड़मा था। इसके बाद जेएनयू में अर्बन नक्सलियों ने जश्न मनाया था। दंतेवाड़ा क्षेत्र में हमले के समय डीआईजी रहे आईपीएस कल्लूरी ने जेनएयू में हमले के बाद हुए जश्न की चर्चा करते हुए कहा था कृ"मुझे काफी दुःख पहुँचा था जब मुझे यह पता चला कि जेनएयू में (कुछ विद्यार्थियों द्वारा) ताड़मेटला में 76 बलिदानी जवानों के बलिदान का जश्न मनाया गया।"

साथ ही छत्तीसगढ़ के कांकेर समेत कई अलग–अलग इलाकों में अर्बन नक्सलियों ने जवानों के बलिदान पर जश्न मनाया।ध इस घटना को अर्बन नक्सली कही जाने वाली अरुंधति राय की पुस्तक, रिपोर्टिंग के लिए भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि इस घटना वाले दिन से अगलेकृ 19 दिन तक अरुंधति राय दंतेवाड़ा में रुकीं। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी, जो सेना, प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार के विरोध में थी। अब आप सोचिए कि जहां एक ओर हमारे 76 जवानों का बलिदान हो गया। वहीं दूसरी ओर अर्बन नक्सली। इसे जीत के तौर पर देख रहे थे। भारत के खिलाफ छेड़े गए सशस्त्र युद्ध के इस घटनाक्रम पर जश्न मना रहे थे। सेना, पुलिस और सरकार के खिलाफ प्रोपेगैंडा वाली रिपोर्टिंग की जा रही थी। उन्हें खलनायक बताया जा रहा था। जबकि माओवादी आतंकियों की रहनुमाई की जा रही थी।ध क्योंकि अर्बन नक्सलियों के लिए माओवादियों के द्वारा जवानों की हत्याकृजीत थी।ध इसे वो बड़े माड्यूल के तौर पर फैलाना चाहते थे।

ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अर्बन नक्सलियों और सशस्त्र माओवादियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। ये दोनों न तो देश के संविधान को मानते हैं। न ही इनमें राष्ट्र के प्रति कोई निष्ठा है। इनका हमेशा से एक ही उद्देश्य रहा है कि– कैसे भारत में रक्तपात किया जाए। श्जल–जंगल, जमीनश के नाम पर हिंसा की जाए। ये दोनों जनजातीय समाज के, वनवासियों के घोर शत्रु हैं।अर्बन नक्सलियों और सशस्त्र माओवादियों के रक्तपात के चलते हीकृ सुदूर वनांचल क्षेत्र विकास से बहुत पीछे रह गए। हालांकि जैसा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है किकृ "यह अर्बन नक्सल खुद हाथ में हथियार नहीं लेना चाहते, लेकिन गरीबों के हाथ में हथियार देकर अपनी विचारधारा फैलाना चाहते हैं। मगर उनके भी दिन लद गए हैं।"

ये कथन इस बात की प्रतिपुष्टि करता है कि हथियारबंद माओवादियों के बाद अगला नंबर अर्बन नक्सलियों का है। जो भी भारत की अखंडता, संप्रभुता और संविधान के खिलाफ आएगा। वो बख्शा नहीं जाएगा। मातृभूमि भारतभूमि को हम रक्तरंजित नहीं होने दे सकते।

हमारे वीर जवानों ने सुरक्षा के लिए जिस अदम्य साहस का परिचय दिया है। वर्षों तक माओवादियों की मांद में घुसकर उन्हें नेस्तनाबूद किया है।आज उन वीर बलिदानियों के कारण ही छत्तीसगढ़ खूनी आतंक से बाहर आया है। सशस्त्र माओवादी आतंक का सफाया हो चुका है। अर्बन नक्सली हमेशा से हथियारबंद माओवादियों की ढाल बनकर खड़े रहते थे। अभी भी ये सिलसिला रुका नहीं है। अर्बन नक्सली कृ

नक्सलवाद के समर्थन में साहित्य लिखते, इंटरव्यू करते, एडिटोरियल लिखते, नाट्य मंचन करते, ढफली बजाते, रैली करते और चिंघाड़ते हुए अर्बन नक्सली नजर आते थे। ये मानवाधिकार के नाम पर माओवादी हिंसा को जायज ठहराते थे। लेकिन माओवादी आतंकी जिन निर्दोषों की हत्या करते थे। उनके मानवाधिकार पर ये चुप्पी ओढ़ लेते थे। वो माओवादी जो बस्तर के जनजातीय समाज का दमन करते थे। स्थानीय लोगों के जवान बच्चों और महिलाओं को अर्बन नक्सलियों के कॉन्सेप्ट पर उठा ले जाते थे। फिर उनके हाथों में हथियार थमा देते थे। रक्तपात कराते थे। बस्तर के वो बच्चे जिन्हें हाथों में किताबें थामनी थी। अर्बन नक्सलियों, माओवादियों ने – उन्हें बंदूक पकड़ने के लिए मजबूर किया। उनका बचपन, घर–परिवार और समाज सबकुछ छीन लिया। बारूदी गंध की जिंदगी जीने को विवश किया। भोले–भाले, सरल हृदय जनजातीय समाज को अपने ही समाज का दुश्मन बना दिया। माओवादियों ने उन्हें रक्तपात करने का हथियार बनाने का जघन्य अपराध किया। क्या इनसे किसी भी प्रकार की सहानुभूति की दिखाई जा सकती है ?

आज जिस माडवी हिड़मा को अर्बन नक्सली हीरो बना रहे हैं। अर्बन नक्सली जिस हिड़मा के लिए नारे लगा रहे हैं। मत भूलिए कि वो आतंकी इन 76 जवानों की हत्या का असल मास्टरमाइंड था। माडवी हिड़मा वो खूंखार आतंकी था जिसने न जाने कितने घर–परिवार उजाड़ दिए। न जाने कितने निर्दोषों को गोली से भून दिया।ध नृशंसता के साथ सिलसिलेवार ढंग से हत्याओं को अंजाम दिया। अब, उस हिड़मा को महान बलिदानी भगवान बिरसा मुंडा से जोड़ने का अपराध, अर्बन नक्सली कर रहे हैं। बिरसा मुंडा जिन्होंने राष्ट्रीय अस्मिता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ईसाई मिशनरियों, अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। स्वतंत्रता, जनजातीय अस्मिता, भारत की संस्कृति और कन्वर्जन के खिलाफ जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। अगर कोई भी भगवान बिरसा मुंडा से हिड़मा जैसे माओवादी क्रूर हत्यारे को जोड़ता है तो ये सबसे बड़ा अपराध है। यह हमारे आदर्शों, हमारी संस्कृति, जनजातीय समाज का घोर अपमान है। ये किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अब भी जो लोग माओवाद के समर्थन में लोगों को बरगलाते दिखाई दें। जो हिड़मा जैसे माओवादी आतंकी को ग्लोरीफाई करते दिखें। जो ये विमर्श करते दिखें कि अजी ! जल–जंगल जमीन के लिए नक्सलवाद फिर से वापस आ सकता है। ऐसे में ये तय मानिए कि या तो ये अर्बन नक्सली हैं। याकि ये अर्बन नक्सलियों के नैरेटिव के ट्रैप में फंस गए हैं। याकि ये किसी पॉलिटिकल लाइन को एड्रेस कर रहे हैं। देश समेत छत्तीसगढ़ से माओवादी आतंक का सफाया ये बता रहा है कि– अगर दृढ़ इच्छाशक्ति हो। संकल्प हो। समाज के लिए बेहतरी की चिंता हो तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं हो सकता है। हमारे सुरक्षाबल, हमारे गौरव है। उनके असंख्य बलिदानों के प्रति ये राष्ट्र और समाज अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। हमारा छत्तीसगढ़, हमारे बस्तर की माटी और उसकी संतानें अब सृजन का नया विहान रच रही हैं। अब बस्तर में बारूद की गंध कभी नहीं लौटेगी। हमारा पूरा समाज–एक साथ खड़ा है। बस्तर के युवाओं के कंधों पर अब वहां की शिक्षा–रक्षा, स्वास्थ्य–रोजगार, विकास की कमान है। जो अभावग्रस्त हैं। उन तक अब सारे संसाधन तेजी से पहुंचेंगी। वीर गुंडाधुर, भगवान बिरसा मुंडा, दंतेश्वरी माई की संतानें अब मूल को पहचानकर सृजन के गीत गा रही हैं। प्रकृति की लय ताल के साथ एकाकार होकर शांत और सुरम्य तस्वीरें रच रही हैं।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

भगदड़ से मौतों के यक्ष प्रश्न

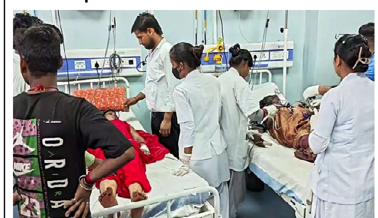

– योगेन्द्र योगी–

सरकारी मशीनरी के नाकारा होने के कारण देश में धार्मिक आयोजनों में भगदड़ जैसे हादसे रुक नहीं रहे हैं। हादसों ऐसी श्रृंखला में नालंदा मंदिर का हादसा भी जुड़ गया है। नालंदा के शीतला माता मंदिर में पूजा करने के दौरान भगदड़ मच गई और इसमें 9 लोगों की जान चली गई। आठ महिलाओं की भीड़ में दबने से मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक पुरुष ने अस्पताल में दम तोड़ा। चौत्र महीने के आखिरी मंगलवार को शीतला अष्टमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचे थे। वहां मेला भी लगा था। इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार को नालंदा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शामिल हुईं। दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कई देशों के छात्रों को डिग्री व मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान दिया गया। राष्ट्रपति की यात्रा की सुरक्षा में 8 जिलों के 2500 जवानों को लगाया गया था, जबकि मंदिर में जुटी 10 हजार की भीड़ के लिए एक भी पुलिस वाले की तैनाती नहीं थी। यह हालत है देश में जिम्मेदार मानी जाने वाली चुनी हुई सरकारों की। अधिकारी इस बात का आकलन ही नहीं कर सके कि इतने बड़े आयोजन में कोई हादसा भी हो सकता है। इसी भारी चूक की वजह से मंदिर स्थल पर पुलिस सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया गया। सारी फोर्स राष्ट्रपति की सुरक्षा के इंतजाम में लगा दी गई।

कुंभ मेले, मंदिर दर्शन, सत्संग, त्योहार और रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन पकड़ने की होड़ जैसी घटनाएं न केवल आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि प्रबंधन की कमी के कारण अक्सर जानलेवा साबित होती रही है। साल–दर–साल मची भगदड़ में सैकड़ों निर्दोष जिंदगियां चली जाती हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये हादसे मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्थाओं की चूक, अपवाहें, संकरी जगहों पर अत्यधिक भीड़ और प्रशासन की लापरवाही के कारण होती हैं। देश के सरकारी तंत्र ने विगत वर्षों में हुए इस तरह के हादसों से कोई सबक नहीं सीखा। यही वजह ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति थम नहीं रही है। विगत एक दशक में ऐसा शायद ही कोई साल गया होगा, जब भगदड़ में मौतों की दर्दनाक घटनाएं सामने नहीं आई होंगी।

3 मई 2025 को गोवा के श्री लैरे देवी मंदिर के वार्षिक मेले में पूजा–अर्चना के दौरान भगदड़ मची। इसमें छह श्रद्धालुओं की मौत हुई और लगभग 55 लोग घायल हुए। 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज कुंभ में शामिल होने के लिए ट्रेन पकड़ने की होड़ के चलते मची भगदड़ में 18 यात्रियों की जान गई। 9 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ के संगम क्षेत्र में भगदड़ 30 तीर्थयात्रियों की मौत हुई और 60 लोग घायल हुए। इसी तरह 8 जनवरी 2025 आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर में छह श्रद्धालुओं की मौत हुई।

इसी तरह 2 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश के हाथरस में संत भोले बाबा (नारायण साकार हरि) की सत्संग के बाद भगदड़ मची। इस घटना में कुल 121 लोगों की मौत हुई, जिनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। यह हादसा सुरक्षा प्रबंधों की कमी के चलते हुआ। 31 मार्च 2023 मध्यप्रदेश के इंदौर में रामनवमी पर ढाई तालाब की बावड़ी की छत गिरने के दौरान भगदड़ मच गई। इस हादसे में 36 तीर्थयात्रियों की मौत हुई और 16 अन्य घायल हुए। भीड़–नियंत्रण में चूक यहां भी जानलेवा साबित हुई। इन हादसों के अलावा विगत वर्षों में कटरा जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर, महाराष्ट्र के मंधर देवी, नासिक में कुंभ स्नान, आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री, बिहार के पटना में गांधी मैदान, मध्य प्रदेश के दतिया में पुल पर अफवाह फैलने, हरिद्वार में हर–की–पौड़ी घाट पर आयोजित गायत्री महायज्ञ आयोजन, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जोधपुर में चामुंडा देवी मंदिर में हिमाचल के नैना देवी में भगदड़ के दौरान सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी।

नालंदा में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अन्य हादसों की तरह वही जांच कमेटी बना दी गई। बिहार सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को सांत्वना राशि की घोषणा कर दी गई। राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से औपचारिकता निभानते हुए घड़ियाली आसूं बहाए गए। किन्तु एक भी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अन्य हादसों की तरह इस हादसे में भी एक भी अफसर को जेल नहीं होगी। किसी का भी बांल बांका नहीं होगा, होगा भी तो सिर्फ दिखावे के लिए छोटे कर्मचारी अधिकारियों पर गाज घटना की गाज गिर सकती है। देश में परंपरा रही है कि बड़े अफसर हर बार बच निकलते हैं। इस लिहाज से बिहार की इस घटना इससे अलग नहीं है। सरकारों ने ना पहले हुए ऐसे हादसों से कोई सबक सीखा था ना ही बिहार हादसे से सीखेंगे। ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति देश में जारी रहेगी। ऐसे हादसों में सरकारी कुप्रबंधन की वजह से आम लोगों की मौत होती रहेगी और सरकारें तमाशबीन बनी रहेंगी।–(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

कार्यालय ग्राम पंचायत डिलिया वि.खं. बस्ती सदर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **डिलिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **डिलिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 21–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 13–04–2026 से दिनांक 21–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **डिलिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **डिलिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **डिलिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(दयाराम)	**(अवधेश वर्मा)**
प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत–**डिलिया**	ग्राम पंचायत–**डिलिया**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 08.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत कुर्दा वि.खं. गौर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कुर्दा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **कुर्दा** के निविदा बाक्स में दिनांक 17–04–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 01:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 16–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **कुर्दा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **कुर्दा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कुर्दा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(विमला देवी)	**(श्री प्रकाश वर्मा)**
प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत–**कुर्दा**	ग्राम पंचायत–**कुर्दा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 08.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत-बचड़ा-बचड़ी वि0ख0 -नौगढ़, जनपद- सिद्धार्थनगर

निविदा/आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **बचड़ा–बचड़ी** विकास खण्ड नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना पंद्रहवां वित्त/पंचम राज्य वित्त /केन्द्रीय वित्त/वीबी–जीरामजी/ स्वच्छ भारत मिशन एवम अन्य शासकीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृति तथा कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु इंटरलाकिंग प्रथम श्रेणी ईट, बालू, सीमेन्ट, मोरंग, सरिया, पेन्ट, वायरिंग, पत्थर की गिट्टी, टाइल्स, हियूमपाइप, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, हार्डवेयर, सफाई कर्मी, गोवंश भरण–पोषण, हेतू भूसा दाना, टूल किट, इण्डिया मार्का पम्प, मरम्त, रिबोर पंचायत भवन निर्माण व मरम्मत व सार्वजनिक स्थान पर बैठने हेतु बेंच निर्माण ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केन्द्र मरम्मत/सामुदायिक शौचालय मरम्मत व निर्माण, ठोस तरल अपशिष्ट प्रबन्धक (एस0एल0डब्लू0एम0), इलेक्ट्रानिक मटेरियल आदि समानो की व समय समय पर आवश्कतानुसार कार्य करने सम्बंधित सामग्री इत्यादि की आपूर्ति हेतु निविदा सत्र 2026–27 हेतु आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनाँक 17–04–2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक सामग्री आपूर्ति हेतु अपनी निविदा तथा वाछित प्रपत्र बन्द लिफाफे में ग्राम पंचायत कार्यालय **बचड़ा–बचड़ी** के निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। और उसी दिन दिनांक 17.04.2026 को 03:00 बजे ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा नामित अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं की उपस्थिति में टेन्डर खोला जायेगा तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहर की राशि मूल्य 5000– रुपये होगी।

नियम व शर्तें

1–जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगी, वही निविदा स्वीकृति की जायेगी ।
2–आपूर्तिकर्ता का सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा वह आयकरदाता हो। प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3–सामग्री की आपूर्ति ग्राम पंचायत में कार्य स्थल पर ही करनी होगी।
4– जो दरे प्रस्तुत की जाये वह जीएसटी तथा कार्टेज चार्ज तथा अन्य कर जोड़कर प्रस्तुत की जाये।
5– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत/ग्राम प्रधान के आदेश पर ही की जायेगी।
6– सामग्री की मात्रा घटायी या बढ़ाई जा सकती है।
7– ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान/सचिव/सदस्य/बीडीसी/जिला पंचायत सदस्य/ तकनीकी सहायक/रोजगार सेवक आदि कर्मचारियों के सगे सम्बंधित एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी। उक्त आशय की नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।
8– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान के पास होगा स्वीकृति आपूर्तिकर्ता को भुगतान तकनीकी सहायक/अवर अभियंता द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा मापन के उपरान्त किया जायेगा गुणवत्ता खराब होने पर भुगतान नहीं किया जायेगा।
9– आपूर्तिकर्ता को 2.24 प्रतिशत आयकर देना होगा। आपूर्ति हेतु सम्बंधित के पास डीलरशिप/एजेंसी होना अनिवार्य है अन्यथा की दशा में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति हेतु खरीदी गयी सामग्री का पक्का बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10– निविदा फॉर्म ग्राम पंचायत **बचड़ा–बचड़ी** कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 100 (एक सौ) रुपया है पर ही स्वीकार किया जायेगा। अन्य जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय **बचड़ा–बचड़ी** से प्राप्त की जा सकती है।

ग्राम प्रधान–बीर बहादुर यादव	**सचिव–विमल कान्त**
ग्राम पंचायत–**बचड़ा–बचड़ी**	ग्राम पंचायत–**बचड़ा–बचड़ी**
विकास खण्ड–**नौगढ़**	विकास खण्ड–**नौगढ़**
जनपद –सिद्धार्थनगर	जनपद –सिद्धार्थनगर

पीजी कॉलेज के स्टैंड के पास फंदे से लटकता मिला किशोर का शव

संवाददाता–महराजगंज। पीजी कॉलेज के साइकिल स्टैंड के पास बुधवार को किशोर का शव फंदे से लटकता मिलने से सनसनी हो गई। छात्रों की सूचना पर महाविद्यालय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। सूचना पर नगर चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। शव को फंदे से नीचे उतारा। पंचनामा के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी। किशोर की अभी पहचान नहीं हो पाई है।पीजी कॉलेज के मैदान की ओर जहां मेला लगता है, वही महाविद्यालय का साइकिल स्टैंड है। यह स्टैंड पिछले दो माह से बंद है। स्टैंड का तीनशेड उड़ चुका है। बुधवार को कॉलेज के छात्र स्टैंड की तरफ गए तो वहां एंगल से साड़ी के फंदे के सहारे किशोर का शव लटकता देख महाविद्यालय प्रशासन को सूचना दिया। कॉलेज के शिक्षक भी मौके पर पहुंचे।घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। नगर चौकी इंचार्ज पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच जांच पड़ताल शुरु कर दिए। किशोर की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि किशोर एक लड़की के साथ अक्सर स्टैंड के आसपास देखा जाता था। किशोर कौन था, उसके मौत का कारण क्या है। उसकी हत्या हुई या किसी ने हत्या कर शव को लटका दिया? इन सभी सवालों का जवाब किशोर की पहचान होने व पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इस मामले में कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक निर्भय कुमार सिंह ने बताया कि किशोर का शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। अभी शव की पहचान नहीं हो पाई है। जांच पड़ताल की जा रही है।

भाजपा का 'गांव चलो–वार्ड चलो' अभियान शुरू

संवाददाता–देवरिया। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 'विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश गांव चलो, वार्ड चलो अभियान' की शुरुआत की। यह अभियान केंद्र और प्रदेश सरकार के नौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जन–जन तक पहुंचाना है। नगर क्षेत्र में अभियान की शुरुआत गरुड़ पार क्षेत्र से हुई, जिसका नेतृत्व नगर अध्यक्ष रमेश वर्मा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष भारती शर्मा, जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार दुबे और व्यापारी नेता हरेंद्र जायसवाल ने किया। वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह के नेतृत्व में साकेत नगर से भी अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने विभिन्न वार्डों में घर–घर जाकर लोगों से संपर्क किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार के नौ वर्षों के कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही लोगों से इस अभियान से जुड़ने की अपील भी की। जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार दुबे ने कहा कि डबल इंजन सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष अलका सिंह ने बताया कि भाजपा सरकार ने महिलाओं, दलितों, वंचितों और युवाओं के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की हैं। नगर अध्यक्ष रमेश वर्मा ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। इस दौरान नगर महामंत्री सुधीर मद्धेशिया, रविशंकरनाथ त्रिपाठी, अटल बरनवाल, रविंद्र राव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कार्यालय ग्राम पंचायत दुधौरा वि.खं. बस्ती सदर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **दुधौरा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **दुधौरा** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 11–04–2026 से दिनांक 20–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **दुधौरा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **दुधौरा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **दुधौरा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(गुड़िया देवी)	**(अवधेश वर्मा)**
प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत–**दुधौरा**	ग्राम पंचायत–**दुधौरा**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 08.04.2026

कार्यालय ग्राम पंचायत कछिया वि.खं. गौर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कछिया** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **कछिया** के निविदा बाक्स में दिनांक 20–04–2026 तक अपरान्ह 11:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 12:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 19–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **कछिया** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **कछिया** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कछिया** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(जोखू प्रसाद)	**(श्री प्रकाश वर्मा)**
प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत–**कछिया**	ग्राम पंचायत–**कछिया**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 08.04.2026

ओडीएफ– ग्राम पंचायत महादेव खुर्द विकास खण्ड बढ़नी, जनपद–सिद्धार्थनगर

अल्पकालीन निविदा सूचना

ओडीएफ ग्राम पंचायत महादेव खुर्द द्वारा जी राम जी / राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना / विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) / 15वां / 16वां वित्त /केन्द्रीय वित्त / पंचम राज्य वित्त आयोग /उत्सव भवन / स्वच्छ भारत मिशन/एम.एल. एल. डब्ल्यू. एम. / सांसद / विधायक एम. एल. सी. निधि के अन्तर्गत वर्ष 2026–2027 में स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों में प्रयोग हेतु सामग्री आपूर्ति हेतु (प्रथम श्रेणी ईंट, सीमेंट, ईंट की गिट्टी, पत्थर की गिट्टी, सरिया, पेंट, साइनबोर्ड, ह्यूम पाइप, स्ट्रीट लाइट, सफाई सामग्री, बेला, सादा बालू, मोरंग बालू, कूड़ादान, प्लास्टिक बैंक, ई–रिक्शा साइकिल, ई–रिक्शा मरम्मत, स्वच्छता किट, इन्सिनरेटर आदि एवं अन्य प्रकार की निर्माण में प्रयुक्त सामग्री आदि) की आवश्यकता है। इस निमित्त निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता दिनांक 11–04–2026 को समय 11:00 बजे तक अपनी निविदा फार्म मूल्य रू100.00 के स्टाम्प पेपर तथा वांछित प्रपत्र बंद लिफाफे में कार्यालय/स्थान ग्राम पंचायत महादेव खुर्द निविदा बॉक्स में डालेंगे। निविदा उसी दिन 03:30 बजे निविदाताओं के समक्ष खोली जाएगी। शर्तें एवं नियमावली: 1. अधिकृत फर्म/अधिकृत डीलर का जी. एस.टी. रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तथा 03 वर्ष का आयकर क्लियरेंस संलग्न करना अनिवार्य है। 2. जी. एस. टी. तथा कार्टेज चार्ज जोड़कर ही दरें प्रस्तुत की जाएं। 3. आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति पर 2.28 प्रतिशत आयकर/टीडीएस देना होगा। 4. प्रस्तुत दरें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नहीं होंगी। भुगतान पी.डब्ल्यू.डी. के समयानुसार तय दर पर ही किया जाएगा। 5. ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम प्रधान, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, टीए, अवर अभियंता के सगे सम्बन्धी एवं रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जाएगी 16. धरोहर की धनराशि रू 5000.00 (पांच हजार) होगी। 7. धरोहर की राशि राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडीआर/एनएससी एवं डाकघर के बचत पत्र के रूप में सचिव ग्राम पंचायत के नाम बंधक होगी। मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 8. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत ग्राम प्रधान सचिव ग्राम पंचायत द्वारा आदेश देने पर ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। 9. आदेश देने के सात दिनों के अंदर सामग्री आपूर्ति न करने की दशा में धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जाएगी। 10. सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत दर से निर्धारित कार्यस्थल पर करनी होगी। 11. सामग्री की मात्रा कार्य के अनुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है। 12. आपूर्ति कर्ता को भुगतान का इंजीनियर/अवर अभियंता (या अभियंता) /तकनीकी सहायक द्वारा सामग्री की गुणवत्ता प्रमाणित होने तथा माप के उपरांत किया जाएगा। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर भुगतान नहीं किया जाएगा। 13. निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र रू 100.00 में ही स्वीकार किया जाएगा। 14. निविदा फार्म किसी भी कार्य दिवस में ग्राम पंचायत कार्यालय से निर्धारित मूल्य देकर प्राप्त किया जा सकता है। 15. निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार ग्राम प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रहेगा। 16. निविदा के सम्बन्ध में अन्य जानकारी सचिव ग्राम पंचायत महादेव खुर्द से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। 17. जिस कार्य की निविदा पृथक से निकाली जाएगी उस कार्य पर इस निविदा की शर्तें लागू नहीं होंगी।

ग्राम प्रधान	**सचिव**
सुनीता देवी	**शीला पटेल**
ग्राम पंचायत–महादेव खुर्द	**ग्राम पंचायत–महादेव खुर्द**
विकास खण्ड बढ़नी, सिद्धार्थनगर	**विकास खण्ड बढ़नी, सिद्धार्थनगर**

कार्यालय ग्राम पंचायत डिडौहा वि.खं. बस्ती सदर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **डिडौहा** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/ अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **डिडौहा** के निविदा बाक्स में दिनांक 17–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 16–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **डिडौहा** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री / उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **डिडौहा** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **डिडौहा** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(जगनरायन चौधरी)	**(प्रिंका चौधरी)**
प्रधान	सचिव
ग्राम पंचायत–**डिडौहा**	ग्राम पंचायत–**डिडौहा**
जिला–बस्ती	जिला–बस्ती

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 08.04.2026

आंधी–बारिश, गेहूं की फसल प्रभावितः 10 घंटे तक बिजली गुल रही, बुधवार सुबह फिर शुरू हुई बूंदाबांदी

संवाददाता–अंबेडकरनगर। जिले में मंगलवार देर रात मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी और बूंदाबांदी के कारण गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके चलते जिले के कई क्षेत्रों में लगभग 10 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। हालांकि, इस मौसमी बदलाव से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है।

मंगलवार को दिन में धूप खिली थी, लेकिन शाम होते ही मौसम में बदलाव आ गया। रात करीब 9 बजे अचानक तेज धूल भरी आंधी चली, जिसके बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस अचानक हुए मौसम परिवर्तन से जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज आंधी और बूंदाबांदी का सीधा असर किसानों की गेहूं की फसल पर पड़ा है। कटाई के लिए तैयार खड़ी फसलों के खराब होने की आशंका से किसानों की चिंता बढ़ गई है।

आंधी के कारण जिले के महरुआ, कटेहरी, पहितीपुर, श्रवण क्षेत्र, आलापुर, टांडा और जलालपुर सहित कई क्षेत्रों में पूरी रात बिजली व्यवस्था ठप रही। लगभग 10 घंटे बाद भी इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई थी। बुधवार सुबह भी जिले में फिर से बूंदाबांदी शुरू हो गई। इस बदले मौसम ने जहां एक ओर किसानों की चिंता बढ़ाई है, वहीं दूसरी ओर लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत भी प्रदान की है।

4 अभियुक्तों को गैर इरादतन हत्या मामले में 10–10 वर्ष का कठोर कारावास

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत बड़ी सफलता मिली है। गैर इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए 10–10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कक्ष संख्या–01) मोहम्मद रफी की अदालत ने सुनाया। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गंभीर अपराधों में त्वरित और प्रभावी सजा सुनिश्चित करना है। पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना गोल्हौरा पुलिस ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की। पुलिस ने वाद संख्या 03/2017, मुकदमा अपराध संख्या 869/2016, धारा 304, 323, 504 भादवि से संबंधित इस मामले में न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए। इन धाराओं के तहत गैर इरादतन हत्या, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और अपमानित करना शामिल है। न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने मामले की सुनवाई के बाद कोल्हूई डिहवा, थाना गोल्हौरा निवासी कल्लू पुत्र नीबर, मजनू पुत्र राममिलन, बरखू पुत्र राममिलन और पंकज पुत्र सुभाष लोनिया को दोषी करार दिया। प्रत्येक अभियुक्त को 10–10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 12,000–12,000 के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। इस महत्वपूर्ण सजा को सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पाण्डेय और न्यायालय पैरवीकार आरक्षी मुकेश (थाना गोल्हौरा) का विशेष योगदान रहा। उनके प्रयासों की सराहना की जा रही है। इस निर्णय को कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और अपराधियों में भय उत्पन्न करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह 'ऑपरेशन कन्विक्शन' की प्रभावशीलता को भी दर्शाता है।

कार्यालय ग्राम पंचायत कम्हरिया द्वितीय वि.खं. बहादुरपुर, जिला-बस्ती

अल्पकालिक निविदा आपूर्ति सूचना

ग्राम पंचायत **कम्हरिया द्वितीय** द्वारा पंचम राज्य वित्त/पन्द्रहवा वित्त केन्द्रीय वित्त/मनरेगा/वीबी–जीरामजी/राष्ट्रीयग्राम स्वराज/अभियान/स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण/एस०एल०डब्लू०एम०/सांसद निधि/विधायक निधि/अन्त्येष्टि स्थल का विकास/मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना सहित अन्य योजनान्तर्गत योजना वर्ष 2026–27 में स्वीकृत तथा कराये जाने वाले कार्यों हेतु ईट, ईट गिट्टी, सीमेंट, लोकल सैड, बालू, मोरंग, मिट्टी दुलाई सहित, पत्थर गिट्टी, इण्टरलाकिंग ईट 80 एम०एम०, सरिया, ऐंगिल, फेंसिंग जाली, जी०आई० शीट, हयूम पाइप 250 एम०एम० व्यास से 900 एम०एम० व्यास तक सभी साइज, बेंच, डस्टबिन, सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, विद्युत व इलेक्ट्रानिक उपकरण, इण्डिया मार्का हैण्डपम्प मम्मत व रिबोर से जुडे सामग्री व उपकरण, पेंटिंग, पलम्बिंग सामग्री, फागिंग मशीन व रसायन, सफाई उपकरण, कुर्सी, मेज, अलमारी, स्टेशनरी, साइनबोर्ड, शिलापट्ट, ठेला, ई रिक्शा आदि के आपूर्ति हेतु निविदा दर तथा वांछित एक प्रपत्र बन्द लिफाफे में कार्यालय ग्राम पंचायत **कम्हरिया द्वितीय** के निविदा बाक्स में दिनांक 30–04–2026 तक अपरान्ह 12:00 बजे तक डाली जायेगी। निविदा उसी दिन अपरान्ह 02:00 बजे आपूर्तिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के उपस्थिति में कार्यालय ग्राम पंचायत में खोली जायेगी तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जायेगी। धरोहरं धनराशि मु० 5000–00 (पांच हजार) होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 09–04–2026 से दिनांक 29–04–2026 तक कार्यालय दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

1– जिस आपूर्तिकर्ता का दर सबसे कम होगा उसे ग्राम पंचायत द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु सूचित किया जायेगा।
2– आपूर्तिकर्ता का जी०एस०टी० का रजिस्ट्रेशन तथा आयकर देने का प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3– कार्यालय ग्राम पंचायत **कम्हरिया द्वितीय** द्वारा नामित कर्मचारियों तथा आपूर्तिकर्ताओ की उपस्थिति में निविदा निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर खोला जायेगा।
4– सामग्री /उपकरण की आपूर्ति ग्राम पंचायत **कम्हरिया द्वितीय** की परिधि में स्वीकृत दर से निर्धारित कार्य स्थल पर करनी होगी अलग से कोई ढुलाई व्यय देय नही होगी।
5– जो दरें प्रस्तुत की जाय जी०एस०टी० तथा कार्टेज एवं अन्य कर जोडकर प्रस्तुत की जाय।
6– सामग्री की आपूर्ति सचिव ग्राम पंचायत के आदेश पर की जायेगी।
7– सामग्री / उपकरण की मात्रा तथा समय आवश्यकतानुसार घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
8– प्रस्तुत दरें पी०डब्लू०डी० द्वारा स्वीकृत दर से अधिक मान्य नही होगा।
9– आपूर्तिकर्ता के बिल से नियमानुसार आयकर तथा जी०एस०टी० काटी जायेगी।
10– धरोहर की धनराशि नकद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के एफ०डी०आर० पत्र/एन०एस०सी०/डाक घर बचत पत्र के रूप में ग्राम पंचायत **कम्हरिया द्वितीय** के नाम बन्धक हो संलग्न करना अनिवार्य है।
11– आपूर्ति दर स्वीकृत होने के बाद ग्राम पंचायत के आपूर्ति आदेश से सात दिवस के अन्दर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
12– ग्राम प्रधान / सचिव/पंचायत सहायक/रोजगार सेवक / तकनीकी सहायक/कन्सल्टिंग इन्जीनियर तथा उनके सगे संबंधी रिश्तेदार द्वारा निविदा प्रस्तुत नहीं की जायेगी।
13– आपूर्तिकर्ता को भुगतान अवर अभियन्ता आर०ई०डी०/अवर अभियन्ता / कन्सल्टिंग अभियन्ता के द्वारा गुणवत्ता एवं मात्रा प्रमाणित होने एवं मापन के बाद ही होगा।
14– निविदा फार्म ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त प्रपत्र जिसका मूल्य 50 रू0 है पर ही स्वीकृत की जायेगी।
15– सामग्री/उपकरण आपूर्ति के सम्बन्ध में शर्ते व अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
16– निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार ग्राम पंचायत के पास होगा।

(जयंत्री देवी) — प्रधान — ग्राम पंचायत–**कम्हरिया द्वितीय**

(योगेन्द्रनाथ द्विवेदी) — सचिव — ग्राम पंचायत–**कम्हरिया द्वितीय**

पत्रांक/ मेमो/टेण्डर विज्ञप्ति 2026/27 दिनांक 08.04.2026

स्कूलों के वाहनों हुई जांच, दिए निर्देश

संवाददाता–संतकबीरनगर। जिले की सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रियंवदा सिंह ने स्कूली बच्चों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के द्वारा स्कूली वाहनों की जांच का एक विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। 15 अप्रैल तक पखवारे भर चलने वाले इस अभियान में उत्तर प्रदेश इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग (यूपीआईएसवीमपी) पोर्टल निर्मित गया है तथा सभी स्कूलों को इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड किए जाने के उपरांत उनका निरीक्षण भी किया जा रहा है।सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रियंवदा सिंह ने बताया कि नगरीय क्षेत्र स्थित जयपुरिया, राज ग्लोबल तथा ब्लूमिंग बड्स स्कूल का भ्रमण किया गया तथा स्कूल वाहनों का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान स्कूली वाहनों में सुरक्षा उपकरणों लगे होने की जांच की गई। सभी स्कूली वाहनों में सीसीटीवी, जीपीएस, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन निकास द्वार, स्कूल का नाम, परिवहन विभाग का हेल्पलाइन नंबर, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप आदि सुरक्षा उपकरणों का होना अनिवार्य है। जिन वाहनों में उपरोक्त कमियां पाई गई, उनके सुधार के लिए स्कूल प्रबंधन को अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त स्कूल वाहन चालकों के साथ वार्ता भी की गई तथा उन्हें सावधानी से वाहन चलाने तथा बच्चों को घर से लेकर वापस सुरक्षित पहुंचाने के संबंध में जागरूक भी किया गया। उन्होंने सभी स्कूली वाहन संचालकों को अपने वाहन को पोर्टल पर ऑनबोर्ड कराने को कहा। साथ ही सुरक्षा उपायों में कोई कमी हो, तो उसे तत्काल पूर्ण कराने की सलाह दी है। निरीक्षण के दौरान हिमांशु मणि त्रिपाठी भी मौजूद रहे।

अदालती नोटिस

सम्मन बनाम कायम मुकाम कानूनी मुद्‌आलेह मुतवफ्फा

(आर्डर 22, कायदा 4)

न्यायालय–श्रीमान पंचम अति0 सिविल जज (जू0डि0) बस्ती जिला–बस्ती

मूलवाद सं0–170/1992

रामतौल

बनाम

महादेव

1. विनोद कुमार पुत्र कमलेश 2. श्रीमती गीता देवी पत्नी कमलेश साकिनान मौजा भैंसा चौबे तप्पा खुरियार परगना नगर पश्चिम तहसील हरैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 18–04–2026

हरगाह मुद्‌दई ने एक नालिश इस अदालत में बतारीख माह सन 20 ई0 बनाम मुद्‌दाअलेह के रूजू की थी, जो बाद की मौत हरगाह मुद्‌दई मजकूर ने एक दरख्वास्त इस अदालत में गुजारी है कि आप मुतवफ्फा मजकूर का कायम मुकाम कानूनी वारिस है और चाहता है कि बजाय उसके मुद्‌दाअलेह बनाये जांय। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि बतारीख 18 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर मुकदमा मजकूर जबाबदेही कीजिये और अगर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा वगैर हाजिरी आपके मसमूअ और फैसला होगा।

बवक्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत आज बतारीख 07 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

बेलहर नगर पंचायत के मनोनीत सदस्यों ने ली शपथ

संवाददाता–संतकबीरनगर। मेंहदावल तहसील सभागार में बुधवार को बेलहर नगर पंचायत के नव–मनोनित सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसडीएम संजीव कुमार राय ने सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। नगर पंचायत बेलहर कलां से प्रेमलता राय, हरिप्रसाद गौड़ और महेंद्र निषाद ने शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक अनिल कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सभी निकायों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी सभासद अध्यक्ष के साथ मिलकर सदन का संचालन बेहतर ढंग से करेंगे और विकास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। विधायक ने कहा कि सरकार द्वारा सदस्यों को नामित करने का निर्णय लिया गया था, जिससे अब ये सदस्य भी व्यवस्था का हिस्सा बनकर अपने क्षेत्र के विकास में योगदान देंगे।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी राम नरायन निषाद पुत्र दीनदयाल ग्राम व पोस्ट–सिकन्दरपुर जनपद बस्ती (उ.प्र.) का निवासी है। पासपोर्ट में पहले मेरा नाम राम नरायन था। अब मैंने अपना नाम राम नरायन निषाद कर लिया है। मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाय। राम नरायन और राम नरायन निषाद मेरा ही नाम है।

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

अपील सं0–1042/21/कायमी

अदालत– श्रीमान बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी बस्ती जिला–बस्ती

रामदरस

बनाम

सरकार आदि

1. रामसुभग दास कथित चेला मोतीदास साकिन भौखरी तप्पा कोठिला तप्पा कोठिला तहसील भानपुर जिला बस्ती 2. विरेन्द्र दास चेला भगौती दास बाकेदास साकिन गोविन्द आश्रम रामकोट विभिषण कुण्ड अयोध्या परगना हवेली अवध तहसील सदर फैजाबाद जिला अयोध्या

तारीख पेशी 24–04–2026

अपील बनराजी आदेश के अदालत बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मुकाम बस्ती

मयरिखा महीना सन् 20 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 24 महीना 04 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख 07 माह 04 सन 2026 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (सी0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0–549/2024

सुमन कुमारी

बनाम

घिराऊ आदि

प्रतिवादी सं0 4– जुड़ावन उम्र 47 साल पुत्र निरहू निवासी ग्राम बेलहरा तप्पा सिकन्दरपुर परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 04–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 04 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 08 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन बरगज इनफिसाल मुकदमा

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5 मजमुआ जाप्ता 200 ई0)

वाद सं0–

अदालत– श्रीमान चकबन्दी अधिकारी (आर0) बस्ती जिला–बस्ती

महेन्द्र दूबे आदि

बनाम

अवध प्रसाद आदि

1. ओम प्रकाश 2. अनिल कुमार पुत्रगण अवध प्रसाद 3. राम अवध पुत्र डेलई निवासी ग्राम बेलवा दूबे तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला बस्ती

तारीख पेशी 21–04–2026

वाजेह हो कि ने आपके नाम एक नालिस बाबत दायर की है। लिहाजा आपको हुक्म होता है कि आप बतारीख 21 माह 04 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन बमुकाम असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमे के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके हाजिरी के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तदलाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा। बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख 01 माह 04 सन 2026 ई0 जारी किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0–260/2022

श्रीमती जयराजी

बनाम

वशिष्ठ कुमार दूबे आदि

2– रामसेवक दूबे पुत्र रामरतन निवासी मौजा पिपरौला तप्पा हवेली परगना नगर पूरव तहसील व जिला बस्ती

तारीख पेशी 22–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 22 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

सर्राफा व्यापारियों ने बांसी विधायक को ज्ञापन सौंपा, पत्रकार के आपत्तिजनक लेख के खिलाफ कार्रवाई की मांग

संवाददाता–सिद्धार्थनगर। बुधवार को बांसी में सर्राफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष रोबिन वर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने पूर्व मंत्री एवं बांसी विधायक राजा जय प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन एक स्थानीय पत्रकार द्वारा प्रकाशित आपत्तिजनक और निराधार लेख के विरोध में दिया गया।

ज्ञापन में बताया गया है कि पत्रकार ने अपने लेख में पूरे स्वर्णकार समाज को श्दो नंबर के धंधेश में संलिप्त बताया है। व्यापारियों का कहना है कि यह लेख बिना किसी आरोप, ठोस सबूत या आधिकारिक जांच के आधार पर लिखा गया है।

सर्राफा व्यापारियों ने शासन–प्रशासन से मांग की है कि पत्रकार ने किस आधार और साक्ष्यों पर यह लेख लिखा, इसकी जांच की जाए। यदि पत्रकार के पास अपने आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण नहीं है, तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

इस दौरान सर्राफा व्यापार मंडल के अध्यक्ष रोबिन वर्मा, उपाध्यक्ष रवींद्र वर्मा, संगठन मंत्री श्रीराम वर्मा, महामंत्री फैज खान, अंगद वर्मा, सलाहकार मंत्री दिनेश चंद्र वर्मा, मनोज वर्मा, प्रेम सागर वर्मा, रजनीश प्रेम और उमेश चंद्र सहित सैकड़ों स्वर्णकार व्यापारी उपस्थित रहे।

अदालती नोटिस

(हेतु सन्दर्शित करने की सूचना साधारण प्रारूप)

(आर्डर 5 कायदा 3)

न्यायालय–श्रीमान जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती

प्रकीर्ण सिविल अपील सं0 95/2025

अयोध्या प्रसाद

बनाम

काशीराम (मृतक) आदि

1. काशीराम पुत्र बहादुर–मृतक 1/1 संवारी देवी उम्र लगभग 61 वर्ष पत्नी स्व0 काशीराम 2. शिवकुमार उम्र लगभग 45 वर्ष 3. रामकेश उम्र लगभग 40 वर्ष 4. अनिल कुमार उम्र लगभग 43 साल पुत्रगण काशीराम निवासीगण ग्राम किशुनपुर तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम पोस्ट कछिया तहसील हर्रैया जिला बस्ती पिन कोड–272163

–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग/रेस्पान्डेन्ट

5. मिट्‌ठू उम्र लगभग 60 वर्ष 6. राम भवन उम्र लगभग 59 वर्ष पुत्रगण स्व0 लालू निवासीगण ग्राम किशुनपुर तप्पा गौर परगना बस्ती पश्चिम पोस्ट कछिया तहसील हर्रैया जिला बस्ती पिन कोड–272163

–प्रतिवादीगण प्रथम वर्ग/रेस्पान्डेन्ट

तारीख पेशी 29–04–2026

चूंकि उपरीनामांकित ने इस न्यायालय में आवेदन किया है कि अतएवं आपके एतद द्वारा चेतावनी दी जाती है कि आप इसे आदेश के खिलाफ हेतु सन्दर्भित करने के लिये 2026 के माह 04 के 29 दिवस को 10.00 बजे पूर्वान्ह में स्वयं या सम्पर्क रूपेण अनुर्दिष्ट अपने अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो और ऐसा न करने पर उक्त आवेदन एक पक्षीय रूप से सुना जायेगा।

मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा सहित आज सन 20 के माह के दिवस को निकाली गयी।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय खलीलाबाद बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0–372/2025

रामअवध

बनाम

निशा

1– निशा उम्र करीब 55 साल पुत्री घूमे साकिन सुरवार कला तप्पा रूधौली परगना मगहर पश्चिम तहसील रूधौली जिला बस्ती

तारीख पेशी 12–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 12 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

अदालती नोटिस

इत्तिलानामा बनाम रेपान्डेन्ट बावत इत्तिला तारीख मुकर्ररह समायत अपील

सिविल निगरानी सं0–31/2025

अदालत– श्रीमान जिला जज महोदय बस्ती जिला–बस्ती

राजेन्द्र आदि

बनाम

श्रीमती गुड़िया आदि

1. श्रीमती गुड़िया उम्र 38 साल पत्नी बद्री प्रसाद 2. बद्री प्रसाद उम्र 42 साल पुत्र हरीराम निवासीगण मौजा भरवलिया बरदहिया तप्पा कड़र परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती 3. कामेश्वर सिंह उम्र 55 साल पुत्र राजा ओंकार सिंह निवासी राजमहल बस्ती तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती 4. किरन गुप्ता उम्र 45 साल पत्नी दिलीप कुमार निवासी कालोनी रानी पोखरा पुरानी बस्ती तप्पा हवेली परगना बस्ती पूरव तहसील व जिला बस्ती –विपक्षीगण

तारीख पेशी 24–04–2026

अपील बनराजी फैसला के अदालत सप्तम अति0 सिविल जज (जू0डि0) मुकाम बस्ती

मयरिखा 20 महीना 02 सन् 2025 ई0 रेस्पान्डेन्ट

इत्तिला दी जाती है कि अपील बनराजी डिगरी इस मुकदमें में मुसम्मी ने पेश इस अदालत में दर्ज रजिस्टर हुआ और इस अदालत व तारीख 24 महीना 04 सन 2026 ई0 वास्ते जमानत तथा अपील मुकर्रर का है। अगर खुद या आपके वकील या और शख्स जो कानूनन आपकी तरफ से अपील हाजा में जबाब सवाल करने वाजिद हो हाजिर न आयेगा तो उसकी समायत और तजबीज आपकी गैर हाजिरी में एकतरफा हो जायेगी। आज बतारीख माह सन 20 ई. मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के हवाले किया गया।

द0 हाकिम

अदालती नोटिस

सम्मन वास्ते करारवाद उमूर तनकीह तलब

(आर्डर 5 कायदा 1 व 5)

न्यायालय– श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) महोदय बस्ती जिला–बस्ती

वाद सं0–1226/2023

रामलाल उर्फ खुद्‌दुर (मृतक)

बनाम

गुड्‌डू आदि

1. गुड्‌डू आयु लगभग 40 साल पुत्र रामफेर साकिन सिंगहा राजा तप्पा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती 2. श्रीमती रागिनी सिंह आयु करीब 38 साल पत्नी सत्येन्द्र विक्रम सिंह साकिन कन्दरौपुर तप्पा दुबौलिया परगना अमोढ़ा तहसील हर्रैया जिला बस्ती

तारीख पेशी 29–05–2026

हरगाह ने आपके नाम नालिश बाबत के दायर की है। लिहाजा आपक 29 माह 05 सन 2026 ई0 बवक्त 10 बजे दिन असालतन या मारफत वकील के जो मुकदमें के हालत से करार वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल उमूर अहम मुतल्लिका मुकदमा जबाब दे सके या जिसके साथ कोई और सख्श हो जो कि जबाब ऐसे सवालत का दे सके हाजिर हों और जबाबदेही दावा कीजिये और हरगाह वही तारीख जो आपके इजहार के लिये मुकर्रर है वास्ते इनफिसाल कत्तई मुकदमा के तजबीज हुई है और आपको लाजिम है कि उसी रोज जुमला दस्तावेज को जिनको आप अपनी जबाबदेही के तहत इस्तेमाल करना चाहते हों पेश करें।

आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर बरोज मजकूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बगैर हाजिरी आपके मसमुआ और फैसला होगा।

बसख्त मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आज बतारीख माह सन 20 ई0 जारी किया गया।

–द0 हाकिम

नुक्कड़ नाटक से गूंजा 'नारी सम्मान' का संदेश

संवाददाता–गोरखपुर। पाली के उच्च प्राथमिक विद्यालय पुण्डा में बुधवार दोपहर मिशन शक्ति फेस–2 के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बालिकाओं और समाज को महिला सुरक्षा, स्वावलंबन और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने नारी शक्ति के महत्व को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ संदेश दिया और श्बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओश अभियान की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस प्रस्तुति से उपस्थित छात्र–छात्राओं और ग्रामीणों में सकारात्मक संदेश पहुंचा। कार्यक्रम में बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने, अपने अधिकारों को पहचानने और समाज में अपनी भूमिका को सशक्त करने के लिए प्रेरित किया गया। पूरे आयोजन के दौरान छात्राओं का उत्साह और सहभागिता उल्लेखनीय रही। इस अवसर पर माही, स्नेहा, अदिति, अपराजिता, मुस्कान सहित समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा, जिससे कार्यक्रम सफल रहा।

बारिश के साथ में वही ठंडी हवाएं, मौसम हुआ सुहाना

संवाददाता–गोरखपुर। मौसम का मिजाज बुधवार की सुबह से ही बदला–बदला सा रहा। तेज हवाओं और गरज–चमक के साथ रिमझिम बारिश सुबह से ही शुरू हो गई। गर्मी के बाद अचानक से बदले इस मौसम में लोगों ने राहत की सांस ली। हल्की बारिश में भी लोग अपने काम को लेकर आते–जाते दिखे। मौसम विभाग ने बुधवार को तेज हवाओं और गरज–चमक के साथ बारिश की उम्मीद जताई थी। बारिश के कारण तापमान में पांच डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। हालांकि इससे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिक कैलाश पांडेय के मुताबिक, बारिश के लिए वायुमंडलीय परिस्थितियां तैयार हो चुकी है।

पश्चिमोत्तर के पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर तिब्बत की ओर बढ़ रहा है। इस बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपरी वायुमंडल में 5000 फीट की ऊंचाई पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बन गया है। इसका असर दिखने लगा है। बुधवार को भी तेज गति से हवाएं चलेंगी और आसमान में बादल भी छाने लगेंगे। बूंदाबांदी से लेकर कहीं–कहीं बारिश का अनुमान है।

दैनिक भारतीय बस्ती

संस्थापक सम्पादक स्व. दिनेश चन्द्र पाण्डेय

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग प्रेस वि0. नया हाल 1–4 A लोहिया काम्पलेक्स जिला पंचायत भवन गांधीनगर बस्ती (उ.प्र.) से मुद्रित एवं प्रकाशित।

प्रबन्ध सम्पादक–**दिनेश सिंह**
संयुक्त सम्पादक–**प्रदीप चन्द्र पाण्डेय**
अयोध्या–फैजाबाद कार्यालय– चतुर्भुजी मंदिर परिसर लक्ष्मण घाट अयोध्या–फैजाबाद
लखनऊ कार्यालय– आशियाना चौराहा, एल.डी.ए. कालोनी, सेक्टर एच. कानपुर रोड लखनऊ।
गोरखपुर कार्यालय– इलाहीबाग गोरखपुर।
मो0 9336715406, 8400925463
ई.मेल **bhartiyabasti@gmail.com**
dainikbhartiyabasti@gmail.com